भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4945
01 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

छोटे एवं सीमांत मत्स्यपालक

4945. श्री दुलू महतो:
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि सरकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता छोटे और सीमांत मत्स्यपालकों तक विशेषकर झारखंड में प्रभावी रूप से पहुंचे;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और मत्स्यपालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि जैसी योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गई राजसहायता का मत्स्यपालकों की आय और उत्पादन स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या भारत के मत्स्यपालन क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए कोई नई नीतियां बनाई जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क) से (ख): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार एक प्रमुख योजना प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) को भारत में मात्स्यिकी क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने के उद्देश्य से झारखंड सहित सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मात्स्यिकी के विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 से 5 साल की अवधि के लिए 20050 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ कार्यान्वित कर रही है। पीएमएमएसवाई के अंतर्गत, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने 139.50 करोड़ रुपए की केंद्रीय लायबिलिटी के साथ 415.22 करोड़ रुपए की राशि के विभिन्न मात्स्यिकी विकास गतिविधियों के लिए स्वीकृति प्रदान की है और पीएफएमएस के माध्यम से राज्य में मात्स्यिकी के विकास के लिए झारखंड सरकार को 115.70 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह धनराशि छोटे और सीमांत मत्स्य किसानों सहित मछुआरों के खाते में सीधे पहुंचे, धनराशि को डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को हस्तांतरित किया जाता है।

सुधारों, नीतियों, योजनाओं मुख्य रूप से पीएमएमएसवाई और एफआईडीएफ के माध्यम से सरकारों के ठोस प्रयासों और विगत पांच वर्षों के दौरान मछुआरों, मत्स्य किसानों और अन्य हितधारकों के प्रयासों ने विशेष रूप से मात्स्यिकी और जलीय कृषि के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, (i) वार्षिक मत्स्य उत्पादन 2019-20 में 141.64 लाख टन से बढ़कर 2023-24 में 184.02 लाख टन हो गया है, (ii) मात्स्यिकी निर्यात 2019-20 में 46,662.85 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में 60,524.89 करोड़ रुपए हो गया है, (iii) प्रति व्यक्ति मछली की खपत 5-6 किलोग्राम से बढ़कर 12-13 किलोग्राम हो गई और (iv) जल कृषि उत्पादकता 3 टन / हेक्टेयर से बढ़कर 4.7 टन प्रति हेक्टेयर हो गई है।

(ग) और (घ): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने 2015 से देश में मात्स्यिकी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसएसवाई) और फिशरीस एंड एक्वाकल्चर डेव्लपमेंट फंड (एफआईडीएफ) सहित 38,572 करोड़ रुपए की योजनाओं के माध्यम से विभिन्न योजनाएं और नीतिगत पहल शुरू की हैं और मात्स्यिकी क्षेत्र में निवेश को काफी हद तक बढ़ाया है। मात्स्यिकी क्षेत्र में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए, पीएमएमएसवाई फिशरीस वैल्यू चैन के साथ विभिन्न हस्तक्षेप/गतिविधियों में सहायता प्रदान करती है जिसमें गुणवत्तापूर्ण मत्स्य उत्पादन, खारे पानी के जलीय कृषि का विस्तार, विविध मत्स्य प्रजातियों का पालन और गहनता, निर्यात-उन्मुख प्रजातियों को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी का संचार, मजबूत रोग प्रबंधन और ट्रेसेबिलिटी, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, निर्बाध कोल्ड चेन के साथ आधुनिक पोस्ट-हारवेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, आधुनिक फिशिंग हारबर और फिश लैंडिंग सेंटर का विकास आदि शामिल हैं। इसके अलावा, वैश्विक स्तर पर भारतीय मात्स्यिकी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, सरकार विनियमों में संशोधन करके, आयात को सुव्यवस्थित करके और प्रमुख एक्वाफीड सामग्री, जल कृषि इनपुट और मत्स्य प्रसंस्करण सामग्री पर आयात शुल्क को कम करके व्यापार करने में आसानी की सुविधा प्रदान कर रही है। देश अब अंतर्देशीय कैप्चर फिश प्रोडक्शन में प्रथम, कल्चर श्रिम्प एक्सपोर्ट में प्रथम, जल कृषि उत्पादन में दूसरा, समग्र मत्स्य उत्पादन में दूसरा, समग्र कैप्चर फिश उत्पादन में चौथा, मरीन कैप्चर फिश प्रोडक्शन में छठा और मात्स्यिकी उत्पादों के निर्यात में छठा स्थान प्राप्त कर चुका है।

*****